

## न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/ 203

दिनांक :- 30.05.2023

राजस्व वाद सं. 100 / 2023

GCMS No. 2023/186

उनवान प्रकरण :- टंकूड़ी देवी बनाम तहसीलदार

—: आदेश:—

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का आनन्दपुरा व भूअ.नि. जिलिया की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार चितावा/तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	राणासर	101	टंकादेवी पत्नी चूनाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी	टंकूड़ी देवी पत्नी चूनाराम हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/5 (पूर्ण खाता) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )

क्रमांक/2023/ 204-205

दिनांक :- 30.05.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी टंकूड़ी देवी पत्नी चूनाराम जाति जाट सा. राणासर तह.कुचामन को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( नागौर )

